रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042023-245300
CG-DL-E-21042023-245300

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2023/चैत्र 30, 1945
No. 257] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2023/CHAITRA 30, 1945

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

फा.सं. ओपी-89012/2/2022.—ऑपरेशन- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ एतद्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) विनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम जारी करता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज) विनियम, 2018 में, विनियम 3 में,--

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

(1) *सभी घरेलू अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटर तथा घरेलू अनुसूचित हेलीकॉप्टर ऑपरेटर, सिविल एन्क्लेवों सहित सभी हवाईअड्डों पर केवल सेल्फ-हैंडलिंग के उद्देश्य से ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियों का क्रियान्वयन कर सकते हैं।*

(ii) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

(4) *प्रति वर्ष दस मिलियन या उससे अधिक यात्रियों के वार्षिक यात्री थ्रूपुट वाले हवाईअड्डे पर, हवाईअड्डा प्रचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि तीन ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां होंगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, —*

(क) एयरपोर्ट प्रचालक या उसके संयुक्त उद्यम अथवा उसके सौ प्रतिशत स्वामित्व-वाली सहायक कंपनी, बशर्ते इस मोड का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब एयरपोर्ट प्रचालक ने खंड (ग) के तहत बोलियां आमंत्रित की हों तथा किसी भी बोलीदाता को उपयुक्त नहीं पाया गया हो या उसका चयन नहीं किया गया हो।

(ख) उप-विनियम (8) एवं (8क) के अध्यधीन, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सहायक या संयुक्त उद्यम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कोई सहायक या संयुक्त उद्यम नहीं होने की स्थिति में, खंड (ग) के तहत बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी का चयन किया जाएगा; तथा

(ग) पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एयरपोर्ट प्रचालक द्वारा नियुक्त कोई अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी।"

(iii) उप-विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

(5) *यातायात आउटपुट तथा एयरसाइड एवं टर्मिनल भवन क्षमता के आधार पर, प्रति वर्ष दस मिलियन से कम यात्रियों के वार्षिक यात्री थ्रूपुट वाले हवाईअड्डे पर, हवाईअड्डा प्रचालक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों की संख्या पर निर्णय ले सकता है, जो तीन से अधिक न हों, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं,-*

(क) हवाईअड्डा प्रचालक अथवा उसके संयुक्त उद्यम या उसके सौ प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, बशर्ते इसका उपयोग केवल तभी किया जाता है, जब हवाईअड्डा प्रचालक ने खंड (ग) के तहत बोलियां आमंत्रित की हों तथा किसी भी बोलीदाता को उपयुक्त नहीं पाया गया हो या उसका चयन नहीं किया गया हो।

(ख) उप-विनियम (8) एवं (8क) के अध्यधीन, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सहायक या संयुक्त उद्यम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कोई सहायक या संयुक्त उद्यम नहीं होने की स्थिति में, खंड (ग) के तहत बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी का चयन किया जाएगा; तथा

(ग) पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एयरपोर्ट प्रचालक द्वारा नियुक्त कोई अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी।;

(iv) उप-विनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

(7) उप-विनियम (8) एवं (8क) के अध्यधीन, सभी हवाईअड्डों पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाने वाला न्यूनतम रॉयल्टी अथवा राजस्व शेयर का भुगतान, जैसा लागू हो, ऐसे हवाईअड्डे पर अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी द्वारा किए जाने वाले भुगतान के बराबर होगा।;

(v) उप-विनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

(8) *सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सहायक या संयुक्त उद्यम से संबंधित उप-विनियम (4), (5) एवं (7) के प्रावधान:*

(i) तब तक लागू रहेंगे, जब तक ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम बनी रहती है;

(ii) ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के लिए ऐसे सभी हवाईअड्डों पर, जहां यह ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के रूप में काम कर रही होगी, उस तिथि तक लागू रहेगा, जब तक ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाती।

(क) चौरासी महीने, अथवा

(ख) ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के पचास प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता में बदलाव होने पर, उस स्थिति को छोड़कर तथा जहां शेयरधारिता में इस तरह के बदलाव, निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के अधिग्रहण के समय तय की गई लॉक-इन अवधि की समाप्ति के उपरांत हुए हों;

(iii) विशेष उद्देश्य वाहक होने के नाते, ऐसी उत्तराधिकारी इकाई के लिए लागू रहेगा, जो एक सिविल एन्क्लेव में ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी का अधिग्रहण करती है, बशर्ते:

(क) उप-विनियम (6) का अनुपालन किया गया हो, तथा

(ख) अधिग्रहण की तिथि से चौरासी महीने की अवधि के दौरान ऐसी उत्तराधिकारी इकाई के पचास प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, सिवाय इसके कि शेयरधारिता में इस तरह के परिवर्तन, निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के अधिग्रहण के समय तय की गई लॉक-इन अवधि की समाप्ति के उपरांत हुए हैं।

(iv) उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, नामत:—

"(8क) किसी भी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी या ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी को नियंत्रित करने वाले किसी भी व्यक्ति का, उसी हवाईअड्डे पर प्रचालन कर रही किसी अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी पर महत्वपूर्ण अधिकार नहीं होगा। यदि ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी या ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति का उसी हवाईअड्डे पर प्रचालनिक किसी अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी में महत्वपूर्ण अधिकार है अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप उसी हवाईअड्डे पर प्रचालनिक किसी अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त करता है, तो:

(क) एक ही हवाईअड्डे पर प्रचालनिक दो ग्राउंड एजेंसियों को, संबंधित हवाईअड्डे पर, एक ही ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी माना जाएगा;

(ख) ऐसे हवाईअड्डे के लिए हवाईअड्डा प्रचालक, एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से, तुरंत एक अन्य ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी नियुक्त करेगा; तथा

(ग) (क) इस तरह के अधिग्रहण के चौबीस महीने के भीतर, ऐसी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी/ ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति, इन ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के कार्य को फिर से संगठित या व्यवस्थित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी चौबीस महीने की अवधि पूरी होने पर, संबंधित हवाईअड्डे पर दोनों ग्राउंड एजेंसियों में से केवल एक प्रचालनिक हो; अथवा

(ख) यह माना जाएगा कि इस तरह के अधिग्रहण के चौबीस महीने की समाप्ति पर, दोनों ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों में से, कम बकाया रियायत अवधि वाली ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी द्वारा संबंधित हवाईअड्डे पर अपनी रियायत त्याग दी गई है।

स्पष्टीकरण: —इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "महत्वपूर्ण अधिकार" एवं "नियंत्रण" शब्द का अर्थ, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का18) के तहत दिए गए अर्थ के अनुसार ही होगा।"

संजीव कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./37/2023-24]

नोट —मूल विनियम, दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या फा.सं. एएआई/ओपीएस/707/जीएचआर-2018 के माध्यम से दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित किए गए थे तथा 06 मार्च, 2020 के फा.सं. एएआई/ओपीएस/707/जीएचआर के माध्यम से अंतिम बार संशोधित कर, दिनांक 06 मार्च, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2023

F. No. OP-89012/2/2022.—Operations- In exercise of the powers conferred by section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Airports Authority of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Regulations, 2018 namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These regulations may be called the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Regulations, 2018, in regulation 3,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

(1) All domestic scheduled airline operators and domestic scheduled helicopter operators may carry out ground handling activities solely for the purpose of self-handling at all airports including civil enclaves;

(ii) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

(4) At the airport having annual passenger throughput of ten million passengers per annum or above, the airport operator shall ensure that there will be three ground handling agencies including that of,—

(a) the airport operator or its joint venture or its hundred percent owned subsidiary, provided that this mode is used only when the airport operator has invited bids as under clause (c) and no bidder is found suitable or selected;

(b) subject to sub-regulations (8) and (8A), a subsidiary or joint venture of a public sector undertaking. In case there is no subsidiary or joint venture of a public sector undertaking, a ground handling agency shall be selected through a bidding process as under clause (c); and

(c) *any other ground handling agency appointed by the airport operator through a transparent bidding process;*

(iii) for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

(5) At the airport having annual passenger throughput of less than ten million passengers per annum, based on the traffic output and airside and terminal building capacity, the airport operator may decide on the number of ground handling agencies, not exceeding three, including that of,—

(a) the airport operator or its joint venture or its hundred percent owned subsidiary, provided that this is used only when the airport operator has invited bids as under clause (c) and no bidder is found suitable or selected;

(b) subject to sub-regulations (8) and (8A), a subsidiary or joint venture of a public sector undertaking. In case there is no subsidiary or joint venture of a public sector undertaking, a ground handling agency shall be selected through a bidding process as under clause (c); and

(c) *any other ground handling agency appointed by the airport operator through a transparent bidding process;*

(iv) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

(7) Subject to sub-regulations (8) and (8A), at all airports, the subsidiary or joint venture of a public sector undertaking shall match the lowest royalty or revenue share, as applicable, paid by the other ground handling agency at such airport;

(v) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

(8) The provisions of sub-regulations (4), (5) and (7) relating to subsidiary or joint venture of a public sector undertaking shall:

(i) continue to apply so long as such ground handling agency remains a subsidiary or joint venture of a public sector undertaking;

(ii) continue to apply to such ground handling agency at all such airports where it is operating as a ground handling agency, from the date such ground handling agency ceases to be a subsidiary or a joint venture of a public sector undertaking till the earlier of:

(a) eighty four months, or

(b) change in more than fifty percent shareholding of such ground handling agency save and except where such change in shareholding is after the expiry of the lock-in period agreed to at the time of acquisition of such ground handling agency by a private sector entity;

(iii) continue to be applicable to a successor entity, being a special purpose vehicle, which acquires the ground handling agency at a civil enclave subject to:

(a) compliance with sub-regulation (6), and

(b) there being no change in more than fifty percent shareholding of such successor entity for the period of eighty-four months from the date of its acquisition, save and except where such change in shareholding is after the expiry of the lock-in period agreed to at the time of acquisition of such ground handling agency by a private sector entity;

(vi) after sub-regulation (8), the following shall be inserted, namely:—

"(*8A) No ground handling agency or any person(s) controlling such ground handling agency shall have significant influence in any other ground handling agency operating on the same airport. In case a ground handling agency or the person(s) controlling the ground handling agency has significant influence in another ground handling agency operating on the same airport or acquires significant influence in another ground handling agency operating on the same airport pursuant to an acquisition from a public sector enterprise:—*

(a) the two ground agencies operating at the same airport shall be deemed to be a single ground handling agency at the relevant airport;

(b) airport operator for such airport shall promptly appoint another ground handling agency through a transparent bidding process; and

(c) (A) within twenty four months of such acquisition, such ground handling agency/person(s) controlling the ground handling agency shall reorganize or restructure the business of the ground handling agencies to ensure that on completion of such twenty four month period, only one of the two ground agencies operates at the relevant airport; or

(B) on expiry of twenty four months of such acquisition, of the two ground handling agencies, the ground handling agency with the shorter outstanding concession period, shall be deemed to have surrendered its concession at the relevant airport.

Explanation:—For the purposes of this sub-regulation, the terms "significant influence" and "control" shall have the meanings as respectively assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

SANJEEV KUMAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./37/2023-24]

Note:— The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 30th October, 2018, *vide* notification number F.No. AAI/OPS/707/GHR-2018, dated the 26th October, 2018 and last amended *vide* F. No. AAI/OPS/707/GHR dated the 6th March, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Sub-section (i), dated the 6th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA